

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि०न० - 03/2024

अनवान : -

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी नेटराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

-प्रार्थीया

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र सन्तलाल जाति महाजन निवासी नेटराना तहसील भादरा
2. कमला पत्नी रामकुमार जाति महाजन निवासी नेटराना भादरा
3. महेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति महाजन निवासी नेटराना। भादरा
4. मायादेवी पुत्री रामकुमार जाति महाजन निवासी नेटराना भादरा
5. रतन कुमार बंसल पुत्र रामकुमार जाति महाजन निवासी नेटराना भादरा
6. सुलोचना पुत्री रामकुमार जाति महाजन निवासी नेटराना भादरा
7. सुशील कुमार पुत्र रामकुमार महाजन निवासी नेटराना भादरा
8. जगदीश प्रसाद पुत्र सन्तलाल जाति अग्रवाल निवासी नेटराना भादरा भादरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट
उपस्थिति :-श्री श्रवण सहारण प्रार्थी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 24.05.2024

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 259/93 मु० नं० 45 के किला नं० 18 की 0.253है०, किला नं० 22 की 0.127है०, किला नं० 23 की 0.127 है०, किला नं० 24 की 0.253है बाराणी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

इसी प्रकार चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 77/64 के मु०न० 60 के किला नं० 3, 4, 7, 8, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० किला नं० 18/1 की 0.013है०, किला नं० 23/1 की 0.013है० बाराणी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० 1 प्रभूदयाल के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 132/99 के मु०न० 60 के किला नं० 1, 2, 9, 10, 11, 12 की कुल 1.518है० बाराणी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 48/23 के मु०न० 45 के किला नं० 22/1 की 0.126है०, किला नं० 23/1 की 0.126है० बाराणी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० 8 के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।



उक्त खातेदारी में मु०न० 60 के किला नं० 21 ता 25 में से स्वीकृतशुदा रास्ता पूर्व से पश्चिम गुजरता है लेकिन उसके बाद प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 की कृषि भूमि में आने-जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। लेकिन प्रार्थी सदामत से चक 6 एनटीआर के मु.न. 60 के किला न० 23, 18 की पूर्वी सीमा से होते हुए उत्तर से दक्षिण एक बिस्वा चौड़ाई का रास्ता से आवागमन करता है। उसके बाद किला न० 13 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिमी एक बिस्वा चौड़ाई में उसके बाद किला न० 12, 9, 2 प्रत्येक किला में उत्तर से दक्षिण पूर्वी तरफ एक बिस्वा चौड़ाई में रास्ता आवागमन में काम लेता है। उससे आगे मु.न. 45 के किला न० 22/1 में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में पूर्वी तरफ 1/2 बिघा लम्बाई में रास्ता आवागमन के लिए काम लेता है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण भविष्य में वाद विवाद होने की संभावना है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी का सही तरीके से उपयोग-उपभोग करने के लिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 8 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसे सुनसमझकर सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा रोही मौजा चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 259/93 मु० नं० 45 के किला नं० 18 की 0.253है०, किला नं० 22 की 0.127है०, किला नं० 23 की 0.127 है०, किला नं० 24 की 0.253है० बारानी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 77/64 के मु०न० 60 के किला नं० 3, 4, 7, 8, 13, 14 प्रत्येक किला की 0.253है० किला नं० 18/1 की 0.013है०, किला नं० 23/1 की 0.013है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० 1 प्रभूदयाल के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 132/99 के मु०न० 60 के किला नं० 1, 2, 9, 10, 11, 12 की कुल 1.518है० बारानी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। चक 6 एनटीआर के खाता संख्या 48/23 के मु०न० 45 के किला नं० 22/1 की 0.126है०, किला नं० 23/1 की 0.126है० बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं० 8 के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त खातेदारी में आवागमन व उपयोग-उपभोग के लिए प्रस्तावित रास्ता पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने सहमती प्रकट की है जिसके एवज में पक्षकारान के मध्य पूर्व में लेन-देन होना स्वीकार किया गया है। अतः मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 6 एनटीआर के मु0न0 45 के किला न0 22/1 में पूर्वी तरफ 0.007है0 मु0न0 60 के किला न0 2, 9, 12 में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण लम्बाई में एक बिस्वा चौड़ाई यानि 0.01265है0 प्रत्येक किला में व मु0न0 60 के किला न0 13 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम लम्बाई एक बिस्वा चौड़ाई यानि 0.01265 है0 व इसी तरह मु0न0 60 के किला न0 18/1, 23/1 में 0.013है0 प्रत्येक किला में उत्तर से दक्षिण पूर्वी तरफ रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त करें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कीया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24-05-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओ.पी. चन्देलिया)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़